# फर्द अहकाम

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

**प्रार्थी :– श्री प्रेमलाल** — **विपक्षी :– राज्य**

**किस्म मुकदमा – 136 भू.रा.अधि.** — **पत्रावली संख्या : 109/24**

**जीसीएमएस : 2024/440**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 10.12.2024<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम पेमा पिता भजा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, पीपीओ कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पिता भजा अंकित है। तहसीलदार मावली द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर प्रेमलाल व पेमा दोनो को एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।<br><br>**–: आदेश :–**<br><br>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सुखवाडा पटवार हल्का साकरिया खेडी तह. मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 26, 27, 28, 124 भूमि में खातेदार पेमा पिता भजा के बजाय प्रेमलाल उर्फ पेमा पिता भजा संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।<br><br>**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**मावली** | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:14 IST
Reason: SelfAttested